फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

गुलाम जन्नत बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 88,209 आरटीए एवं 136 एलआरएक्ट प्रकरण संख्याः– 300/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादीया ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीया के नाम चक 15 एसएचपीडी की जमाबंदी सम्वत् 2074–76 के खाता संख्या नया 129 पुराना 100 की कुल 10.120 हैक्टर कमाण्ड एवं अनकमाण्ड भूमि संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीया का 281/5060 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया के निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, वारिस प्रमाण पत्र में वादीया का नाम गुलाम जनत दर्ज हैं। लेकिन जमाबंदी में वादीया का नाम सहवन से सीमा दर्ज है। जबकि वादीया का सही नाम गुलाम जन्नत है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जावे। दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादी का तलब किया गया। तहसीलदार, सूरतगढ़ ने दिनांक 25.01.2024 को जवाब स्टैट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सीमा पुत्री रेशमा के स्थान पर गुलाम जनत पुत्री रेशम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तो कोई आपत्ति नही है। वादीया द्वारा साक्ष्य वादी में स्वयं एवं संयुक्त खाता में खातेदार बागअली के लिखित बयान प्रस्तुत किये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एसएचपीडी की जमाबंदी सम्वत् 2074–76 के खाता संख्या नया 129 पुराना 100 की कुल 10.120 हैक्टर कमाण्ड एवं अ0क0 भूमि संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीया का 281/5060 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीया का नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में गुलाम जनत है। जबकि राजस्व रिकार्ड में सीमा दर्ज है। इससे वादीया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादीया को राज्य सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नही मिल रहा है। अतः वाद वादीया स्वीकार कर नाम दुरस्त कर डिक्री जारी की जावे। राजपैरोकार ने जवाब दावा को दोहराते हुए बताया कि राज्य हित को सुरक्ष्झित रखते हुए सीमा पुत्री रेशमा के स्थान पर गुलाम जनत पुत्री रेशमा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तो कोई आपत्ति नही है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। मुताबिक जमाबंदी तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एसएचपीडी की जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 129/100 में कुल 10.120 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 भूमि संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीया का नाम सीमा पुत्री रेशमा अंकित है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजा यथा् भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में गुलाम जनत अंकित है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने जवाब दावा में नाम दुरस्त करने में कोई आपत्ति नही की है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के [illegible] वादीया स्वीकार किया जाता है। तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एसएचपीडी की जमाबं[illegible]074 ता 77 के खाता संख्या 129/100 में काश्तकार सं[illegible] के स्थान पर सीमा उर्फ गुलाम जनत पुत्री रेशमा दर्ज करने का [illegible] दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सीता शर्मा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:50:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

–:: **अनवान** ::–

1.गुलाम जनत पुत्री रेशमा साकिन 11 एसजीएम सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

–वादीया

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़ –प्रतिवादी

वाद पत्र धारा–88,209 आर.टी. एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट. मुकदमा नं. 300 वर्ष 2023 (GCMS 2023/395) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीया श्री धर्मपाल सिहाग व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीया स्वीकार किया जाता है। तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एसएचपीडी की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 129/100 में काश्तकार संख्या 8 पर अंकित सीमा पुत्री रेशमा के स्थान पर सीमा उर्फ गुलाम जनत पुत्री रेशमा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20.05.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:50:41 IST
Reason: SelfAttested